

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4249] No. 4249] नई दिल्ली, श्क्रवार, अक्तूबर 26, 2018/कार्तिक 4, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 2018/KARTIKA 4, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5454 (अ).—केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग π , खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 1663 (अ), तारीख 18 अप्रैल, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए 31 दिसंबर, 2018 तक रजिस्ट्रीकृत सभी सार्वजिनक सेवा यान को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 की उप-धारा (1) के खंड (ट) के उपबंधों से 01 जनवरी, 2019 तक छूट प्रदान करती है:

परन्तु , उपर्युक्त विनिर्दिष्ट छूट की समय-अवधि समाप्त होने के पश्चात संबंधित राज्य या संघ-राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अपने संबंधित राज्य या संघ-राज्य क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2018 तक रजिस्ट्रीकृत सभी सार्वजनिक सेवा यानों के लिए उक्त के संबंध में अनुप्रयोज्य विधि के अनुसार उक्त उपबंधों के अनुसरण में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु तारीख अधिसूचित कर सकेगी।

[फा. सं. आरटी-11028/12/2015-एमवीएल-भाग- I] प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

6299 GI/2018 (1)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2018

S.O. 5454 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O 1663 (E), dated the 18th April, 2018, the Central Government hereby exempts upto the 1st day of January, 2019 all public service vehicles registered upto the 31st day of December, 2018 from the provisions of clause (k) of sub-section 1 of section 110 of the Motor Vehicle Act, 1988:

Provided that after the expiry of the time-period of exemption specified above, the concerned State or Union Territory Government may notify the date for compliance of requirements, as specified in pursuance of the said provision, in their respective State or Union Territory, as per the applicable law, in regard to the said for public service vehicles registered upto the 31st day of December, 2018.

[F. No. RT-11028/12/2015-MVL Pt. I] PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.